प्रेस नोट- थाना सदर बाजार

जनपद शाहजहाँपुर

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 19.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा महिला से सोने की चैन छिनने की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम व अवैध शराब एंव अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ का कारोबार करने वाले क्रियाशील एंव चिन्हित किये गये अपराधियों, वाछित एंव वारंटी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एंव अपराध की रोकथाम के परिपेक्ष्य मे प्रचलित अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई|

दिनांक 30.11.2024 को थाना सदर बाजार पर वादिनी प्रीति त्रैहान पत्नी मित त्रैहान द्वारा अज्ञात लड़कों द्वारा वादिनी के गले से सोने की चैन छीन लेने के संबंध में तहरीर दी व थाना हाजा पर मु0अ0सं0 792/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए उ0नि0 श्री देशराज सिंह चौकी प्रभारी बहादुरगंज के नेत्रत्व में माल की बरामदगी व मुल्जिम की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी। गहणता से पतारसी सुरागरसी करते हुए उक्त टीम द्वारा आज दिनांक 19.12.2024 को मुखबिर की सूचना के आधार पर ककरा कला मे कूडा घर डलाव के पास अभियुक्त 1.अकलीम पुत्र रईस खां निवासी मोहल्ला हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 25 वर्ष, 2. संजीव पुत्र सुदेशचन्द्र कश्यप नि0 मोहल्ला हुसैनपुरा निकट कृपाल आश्रम थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर को समय 14.26 बजे गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त गण से पूछताछ एंव अन्य गहन छानबीन के आधार पर अभियुक्त गण के अन्य साथी नाम प्रकाश मे आया। इस संबंध में थाने से विधिक कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त अकलीम s/o रईस खां निवासी मोहल्ला हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर उम्र 24 वर्ष ने पूछने पर बताया कि मै बेलदारी/मजदूरी का काम करता हूँ साहब कभी-कभी शराब पी लेता हूँ घटना वाले दिन मैं व मेरा दोस्त संजीव निवासी हुसैनपुरा व कल्लू निवासी चारखम्बा कोतवाली के साथ संजीव की मोटरसाईकिल से मोज मस्ती कर रहे थे जब हम लोग जेल के सामने मन्दिर के पास पहुंचे मै मोटर साईकिल से उतर गया संजीव मोटरसाईकिल चला रहा था। कल्लू उसके पीछे बैठा था संजीव ने मोटर साईकिल मन्दिर से थोडा आगे खिरनीबाग की तरफ खडी कर ली। एक महिला जो दो छोटे बच्चो वाकर मे लिये हुए थे उसके गले मे सोने की चैन थी , मैने रास्ते मे आने जाने वाले लोगों से नजरे बचाकर मौका पाकर उस महिला की गले की चैन पर एकदम छपटा मारकर छीन ली तथा भागकर मोटर साईकिल पर बैठकर हम तीनो लोग वहां से निकल गये। लालच मे गलती हो गयी। चैन को हमने चलते फिरते आदमी को 46000/-रूपये में बेच दी थी जिसके रूपयों को हम तीनों ने आपस मे बांट लिया यह उन रूपयों में से बचे रुपये है बाकी पैसे हमने खाने पीने मे उडा दिये।

अभियुक्त संजीव s/o सुदेशचन्द्र कश्यप नि0 मोहल्ला हुसैनपुरा निकट कृपाल आश्रम थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर ने पूछने पर बताया कि साहब मैने कुछ नही किया मै तो मोटरसाईकिल चला रहा था तो मेरा दोस्त कल्लू व अकलीम मुझे मिले तो हम तीनो लोग मोटर साईकिल पर घूमने निकल गये मैं मोटर साईकिल चला रहा था बीच मे कल्लू बैठा था जब मोटर साइकिल जेल रोड पर आयी तो मन्दिर के पास अकलीम ने कहा कि रोको तथा उतर कर गया। मैं और कल्लू मोटरसाईकिल रोककर थोडा आगे खडे हो गये तथा कुछ देर बाद अकलीम भागता हुआ आया और बोला की चलो चलो जल्दी चलो। मुझे नही पता था कि उसने यह काम कर दिया बाद मै जब मुझे बताया तो साहब लालच मे मैने भी पैसे ले लिये थे। साहब गलती हो गयी मै इन दोनो के बहकावे मे आ गया था। हिस्से मे आये पैसो मे से कुछ खर्च हो गये है।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 792/24 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्त

1.अकलीम पुत्र रईस खां निवासी मोहल्ला हयातपुरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर उम्र करीब 25 वर्ष

2.संजीव पुत्र सुदेशचन्द्र कश्यप नि0 मोहल्ला हुसैनपुरा निकट कृपाल आश्रम थाना कोतवाली जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरणः-

1.2530 रु नगद (अकलीम)

2.2300 रू नगद (संजीव कुमार)

अपराधिक इतिहास अकलीम

1.215/2020 थाना कोतवाली धारा 307,324,504,506 भा.दं.सं.

2.209/2022 थाना कोतवाली धारा 3/25 आयुध अधिनियम

3.55/2023 थाना खुटार धारा 8/20

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1.उ0नि0 देशराज सिंह

2.का0 740 दीपक कुमार

3.का0 2271 रोहित कुमार

4.का0 311 लोकेश कुमार

5.का0 2687 तेजपाल थाना सदर बाजार